13.09.2025

पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 13.09.2025 में पेश हुई। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री बलराम सुथार द्वारा उपस्थित होकर निवेदन किया गया कि प्रार्थी द्वारा वाद धारा 88 आर.टी.ए. एवं 136 एल.आर.एक्ट. वास्ते नाम शुद्धि का पेश किया गया है, जिसमें आज राष्ट्रीय लोक अदालत में स्वीकार किया जाकर चक 3 ई बडी सेकेण्ड तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 95/77 के मुरबा नम्बर 10 के किला नम्बर 24 के आगे दर्ज बारनी को दुरस्त कर नहरी घोषित कर राजस्व रिकॉर्ड में मु.नं. 10 के किला नम्बर 24 के आगे नहरी दर्ज करने का आदेश दिया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र पर प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्य तहसीलदार श्रीगंगानगर की रिपोर्ट एवं जमाबंदी का अवलोकन किया गया। वाद प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद धारा 88 आर.टी.ए. एवं 136 एल.आर.एक्ट स्वीकार योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर चक 3 ई बडी सेकेण्ड तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 95/77 के मुरबा नम्बर 10 के किला नम्बर 24 के आगे दर्ज बारनी को दुरस्त राजस्व रिकॉर्ड में खाता संख्या 95/77 के मु.नं. 10 के किला नम्बर 24 के आगे नहरी दर्ज करने का आदेश जाता है। आदेश की प्रति तहसीलदार को वास्ते राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करने हेतु प्रेषित की जावे।

निर्णय दिनांक राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 13.09.2025 में सुनाया गया।

पत्रावली दायरा नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल अभिलेखागार हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.12.19 11:11:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner